दिनांकः 29.02.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले मे वादी की तरफ से प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा दिनांक 26.05.2022 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1, 2 तथा धारा 151 के अन्तर्गत प्रस्तुत अस्थायी ब्यादेश के आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है।

प्रस्तुत मामले में वादी की तरफ से कहा गया है कि वादी ने सयतकरारी पर अपने हकीयत का फैसला व दखल कब्जा प्राप्त के साथ अन्य अनुतोष हेतु मुकदमा दाखिल किया है। यह कि वादी को प्रथम दृष्टया मामला हासिल है और सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में हैं। यह कि प्रतिवादीगण आनन फानन में नया निर्माण कराना चाह रहे हैं जिससे की वादी को परेशानी होगी अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रतिवादीगण को नया निर्माण कार्य करने से रोकने की कृपा करें।

प्रतिवादी की तरफ से प्रतिउत्तर में कहा गया कि वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद दायर किया है । प्रतिवादी ने अपने बयान तहरीरी के कंडिका बी में विवादित जमीन से संबंधित बयनामा दस्तावेज का जिक्र किया है विवादित जमीन प्रतिवादीगण की खरीदगी जमीन है और बयनामा के समय से उनका रिहायसी मकान है जिसमें वह परिवार के साथ रहते चले आ रहे हैं यह कि अस्थायी ब्यादेश के आवेदन के कंडिका 3 में लिखी सारी बातें गलत है और विवादित जमीन पर प्रतिवादी का पक्का मकान पहले से ही स्थित है इसलिए वहां कोई जमीन खाली ही नहीं है। यह कि वादी के नालिस आवेदन से ज्ञात होता है कि केवल मामले के लंबित रखने के उद्देश्य से यह आवेदन दाखिल किया गया है अतः आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा करें।

उभय पक्षों को सुना। मामले का अनुशीलन किया। मामले में उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भी अवलोकन किया । समस्त तथ्यों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 39 नियम 1 के अनुसार ***वे दशाएं जिनमें अस्थायी ब्यादेश दिया जा सकेगा जहां किसी वाद में शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह साबित कर दिया जाता है कि (क) वाद में विवादग्रस्त किसी संपत्ति के बारे में यह खतरा है कि वाद का कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्ययन करेगा उसे नुकसान पहुंचाएगा या अन्य संक्रांत करेगा, या डिक्री के निष्पादन में उसका सदोष विक्रय कर दिया जाएगा, अथवा (ख) प्रतिवादी अपने लेनेदारों को कपट वंचित करने की दृष्टि से अपनी सम्पत्ति को हटाने या व्ययनित करने की धमकी देता है आश्य रखता है, (ग) प्रतिवादी को वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति से बेकब्जा करने की या वाद को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यथा क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, वहां न्यायालय ऐसे कार्य को अवरूद्ध करने के लिए आदेश द्वारा अस्थायी ब्यादेश दे सकेगा या सम्पत्ति को दुर्व्ययित किए जाने, नुकसान पहुंचाए जाने, अन्य संक्रान्त किए जाने, विक्रय किए जाने, हटाए जाने या व्ययनित किए जाने से अथवा वादी को वाद में विवादग्रस्त सम्पत्ति से बेकब्जा करने या वादी को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यथा क्षति पहुंचाने से रोकने और निवारित करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य आदेश जो न्यायालय ठीक समझे, तब तक के लिए कर सकेगा जब तक उस वाद को निपटारा न हो जाए या जब तक अतिरिक्त आदेश न दे दिए जाए।***

प्रस्तुत मामले में उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात तथा मामले में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय निम्न बिंदुओं पर विचार करती है

1. प्रथम दृष्टया मामला–

वादपत्र तथा वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवेजों के अवलोकन के पश्चात एक तथ्य स्पष्ट होता है कि विवादित जमीन पर वादी का वर्तमान में कब्जा नहीं है और प्रतिवादी का यह कथन है कि वह रिहायसी मकान बनाकर विवादित जमीन पर निवास करता है। और चूंकि मामले में अधिवक्ता आयुक्त की भी नियुक्ति की मांग उभय पक्षों द्वारा नहीं की गयी है इसलिए जमीन की वास्तविक स्थिति के बारे में न्यायालय के पास जो जानकारी है उसके अनुसार विवादित जमीन पर वादी दखल में नहीं है अतः वादी प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में पूर्णतः विफल रहा है।

2. सुविधा का संतुलन–

यह कि वादी के द्वारा अपने आवेदन में यह कहा गया है कि प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित जमीन पर से अवैध रूप से दखल किया गया है तथा वह उस पर अवैध निर्माण कर रहा है जबकि वाद पत्र तथा लिखित कथन के अवलोकन से न्यायालय यह पाती है कि विवादित जमीन पर वादी कब्जे में नहीं है इस प्रकार से सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं है ।

3. अपूर्णीय क्षति–

प्रस्तुत मामले में वाद पत्र तथा वाद पत्र के साथ वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । तत्पश्चात न्यायालय यह पाती है कि विवादित स्थल पर प्रतिवादी का कब्जा है और उस पर वादी को किस तरह से अपूर्णीय क्षति होगी इस बात का उल्लेख वादी के आवेदन में नहीं है अतः एक बात स्पष्ट है कि मामले में वादी को अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है ।

उपयुर्क्त समस्त तथ्यों और परिस्थितियों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मामले में वादी अस्थायी ब्यादेश के संबंध में आवश्यक तीनों तथ्यों प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति को स्थापित करने में पूर्णतः विफल रहा है । प्रस्तुत मामले में चूंकि वाद विचाराधीन है ऐसी स्थिति में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत वर्णित लंबित वाद का सिद्धांत भी वाद के विचाराधीन रहने तक लागू रहता है । इस प्रकार से न्यायालय प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 और 2 तथा धारा 151 व्य0प्र0सं0 को पर्याप्त तथ्यों के अभाव में अस्वीकृत करती है। वाद दिनांक वास्ते .....अग्रिम कार्रवाई।

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।